

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224084  
SG-DL-E-01012021-224084

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |  |                         |
|----------|--|-------------------------|
| सं. 290] | दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942 | [रा.रा.क्षे.दि. सं. 247 |
| No. 290] | DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942 | [N. C. T. D. No. 247    |

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

कार्यालय सचिव सह-विकास-आयुक्त (विकास)

अधिसूचना

दिल्ली, 25 नवम्बर, 2020

सं. फा. 56(333)/07/वि. (मु.)/2693-2700.—कीटनाशक अधिनियम 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के खंड (क्यू) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक: 02 अगस्त, 2017 की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या सं. फा. 56 (333)/07/वि. (मु.)/1399-1407 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र के लिए पूर्वोक्त आदेश के प्रयोजनार्थ विकास विभाग के परियोजना अधिकारी (आई.ए.डी.पी.) को लाइसेंसिंग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के  
आदेश से और उनके नाम पर,  
आर. पी. मीणा, विशेष विकास आयुक्त

**DEVELOPMENT DEPARTMENT**  
**OFFICE OF THE SECRETARY-CUM-COMMISSIONER (DEV.)**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 25th November, 2020

**No. F. 56(333)/07/Dev.(HQ)/2693-2700.**—In exercise of the powers conferred by section 12 read with clause (q) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), and in supersession of their earlier notification number F.56(333)/07/Dev.HQ/1399-1407, dated the 2<sup>nd</sup> August, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the Project Officer (IADP) of the Development Department to be the Licensing Officer for the purpose of said Act for the geographical area of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,  
R. P. MEENA, Spl. Development Commissioner